

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अम्बेडकर भवन जी. 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ7 1(2)()राछा/सान्याअवि/21/20241 जयपुर, दिनांक 13/02/2023
आदेश

विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में स्वीकृत छात्र क्षमता में कमी/वृद्धि किये जाने हेतु जिलाधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार छात्रावासों की स्वीकृत छात्र क्षमता में कमी/वृद्धि किये जाने हेतु राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 27 के अन्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक 32382 दिनांक 28.05.2015 के अनुसार छात्रावासों की स्वीकृत क्षमता में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

| क्र. सं. | जिले का नाम | नाम छात्रावास मंत्र पदा | श्रेणी | कक्षा/ बालक | स्वीकृत छात्र संख्या | वृद्धि | कमी | प्रस्तावित स्वीकृत क्षमता |
|----------|-------------|--|--------|-------------|----------------------|--------|-----|---------------------------|
| 1 | अजमेर | राजकीय बालिका देवनारायण छात्रावास घुघरा | SC | बालक | 70 | 5 | 0 | 75 |
| 2 | चित्तौड़गढ़ | राजकीय देवनारायण आदर्श छात्रावास चित्तौड़गढ़ | SC | बालक | 120 | 10 | 5 | 115 |
| योग :- | | | | | 190 | 15 | 5 | 190 |

उक्त छात्रावासों की स्वीकृत छात्र क्षमता में प्रस्तावित स्वीकृत छात्र क्षमता अनुसार एतद द्वारा संशोधन किया जाता है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

क्रमांक : एफ7 1(2)(2)राछा/सान्याअवि/21/20242-52 जयपुर, दिनांक 13/02/2023
प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. जिला कलक्टर सम्बन्धित।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास) मुख्यावास।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर लेख है कि वे उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करवाने हेतु।
7. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को इस सम्बन्ध में, व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु।
8. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सम्बन्धित।
10. आदेश पत्रावली।

(हरि मोहन मीना)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Har Mohan Meena
Designation : Director
Date: 2023.02.13 13:12:04 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3140085

